

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1— समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ: दिनांक : 13 दिसम्बर, 2016

विषयः—वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं उनके वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या—1200/1-10-2016-12(34)/03 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 से धनराशि स्वीकृत करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी/कोहरा का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन, विशेषकर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः—

(1) प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

(2) दैनिक समाचार पत्रों एवं विभिन्न समाचार माध्यमों में शीतलहरी एवं अत्यधिक ठण्ड से लोगों की मृत्यु होने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। अतः इस प्रकार की मृत्यु के समाचार का संज्ञान लेते हुए इसकी जॉच न्यूनतम एस०डी०एम० स्तर के अधिकारी से करायी जाय तथा इसकी आख्या शासन को प्रेषित की जाय।

(3) क्य किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार शत-प्रतिशत गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय तथा लाभार्थियों को कम्बल वितरण के सम्बन्ध में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुये प्रतिदिन कम्बल वितरण की सूचना (पूर्ण विवरण के साथ) रथानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी दी जाय।


(4) नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में रैन बर्सेरे, शेल्टर होम आदि की स्थापना की जाती है। इन रैन बर्सेरों, शेल्टर होम गें रुकने वाले कमज़ोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समरत उपाय किये जायें तथा इन रैन बर्सेरों के आस-पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(5) जनपदों में सार्वजनिक चिह्नित स्थानों पर जलाये जाने वाले अलाव का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही उन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय तथा रथानीय समाचार पत्रों तथा मीडिया में भी इससे सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित करायी जाय ताकि शासन द्वारा जन सामान्य को ठण्ड से बचाव हेतु किये जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी हो सके।

(6) उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

(7) शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना/विवरण (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत आयुक्त कार्यालय के ईमेल—rahat@nic.in, फैक्स नं०—०५२२—२२३८०८४, २२३६३०५ पर प्रतिदिन सायं ०४.०० बजे तक अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

3— कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,
(राहुल भट्टाचार्य)
मुख्य सचिव।